कार्यालय नगर निगम, अजमेर

—:: पृथ्वीराज मार्ग, अजमेर (राज.) ::—

क्रमांक : आर.ओ.(ओ.आर.)/ 253   दिनांक : 17/5/16

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम अजमेर द्वारा वित्तिय वर्ष 2016–17 शेष अवधि (01.06.2016 से 31.03.2017) तक की अवधि के लिये निम्न स्थान का पार्किंग ठेका निम्नाकिंत दिनांक को समय प्रातः 11.00 बजे से 1.00 बजे तक अमानत राशि जमा की जावेगी तथा दोपहर 2.00 बजे से 3.30 बजें तक खुली निलामी बोली लगाई जावेगी :–

क्र. स.	पार्किंग स्थल का नाम	अमानत राशि	सरकारी बोली	दिनांक
1	खाइलेण्ड मार्केट (पूराना फायर स्टेशन) अजमेर	30000	525000	25-5-16.

अतः इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त दिनांक व समय पर नगर निगम की अन्यकर शाखा मे उपस्थित होकर अमानत राशि जमा कराकर बोली में भाग ले सकते है। शर्ते व अन्य की जानकारी हेतु निगम कार्यालय दिवस व समय पर उपस्थित होकर राजस्व अन्यकर शाखा से एंव निगम की वेबसाईट www.Ajmermc.org पर एवं State public Procurement Portal पर भी सूचना उपलब्ध है।

प्रमुख शर्तें :–

1. बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व पहचान पत्र/आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा।
2. उच्चत्म बोलीदाता को सम्पूर्ण राशि एकमुश्त निगम कोष में जमा करानी होगी अन्यथा अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
3. केन्दीय व राज्य सरकार का कर, सेवाकर नियमानुसार जो भी हो ठेकेदार को ही जमा कराना होगा।
4. विवाद की दशा में न्याय क्षेत्र अजमेर स्थित सक्षम न्यायालय होगा।
5. बोली स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार महापौर/आयुक्त नगर निगम, अजमेर में निहित होगा।
6. बिना कारण बताये नीलामी निरस्त करने का अधिकार नगर निगम को होगा।
7. बोलीदाताओ द्वारा जमा कराई गइ अमानत राशि निगम कोष मे जमा कराई जायेगी जिसे नियमानुसार ठेके की सम्पूर्ण कार्यवाही पश्चात लोटाई जावेगी।

राजस्व अधिकारी (अन्यकर)
नगर निगम अजमेर

उपायुक्त
नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

खाईलैण्ड मार्केट (पुराना फायर स्टेशन) अजमेर पर पार्किंग स्थल की वित्तीय वर्ष 2016–2017 की शेष अवधि (1 जून 2016 से 31 मार्च 2017) तक की अवधि के लिए नीलामी शर्तेः–

(1) पार्किंग स्थल की नीलामी का विवरण

पार्किंग स्थल का नाम	:– खाईलैण्ड मार्केट, (पुराना फायर स्टेशन), अजमेर
पार्किंग ठेका अवधि	:– वित्तीय वर्ष 2016–17 (01.06.2016 से 31.03.2017 तक)
सरकारी बोली	:– 525000
नीलामी की अमानत राशि	:– 30000
नीलामी की दिनांक	:– 25.05.2016

(2) ठेकेदार को पार्किंग स्थल पर निम्न सूचना का बोर्ड लगाना होगा।

(I) वसूल की जाने वाली दरों का विवरण।

(II) ठेकेदार का नाम व पत्ता मय मोबाईल नम्बर

(III) ठेकेदार के प्रतिनिधी का नाम

(IV) पार्किंग पर बडे वाहन बस/ट्रक/आदि खडे नही करने की सूचना।

(V) पार्किंग स्थल पर राजकीय वाहन निगम कर्मचारी/पार्षद आदि के वाहन निःशुल्क खडे किये जायेंगे।

3. पार्किंग स्थल पर सफाई व्यवस्था, पानी, लाईट, स्टेशनरी की व्यवस्था एवं वाहनों की सुरक्षा की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी।

5 बोली लगाने से पूर्व अमानत राशि नगद जमा करानी होगी।

4 पार्किंग स्थल पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही किया जा सकेगा। 4X4 फुट का छायादार अस्थाई निर्माण किया जा सकता है।

6 प्रशासनिक कार्य हेतु इस स्थान की आवश्यकता होने पर उक्त स्थान पर पार्किंग नही की जा सकेगी। बिना कोई कारण बताये हुये उक्त ठेका निरस्त किया जा सकेगा। शेष अवधि की राशि बकाया दिनों के अनुपात में नियमानुसार लौटाई जायेगी।

7 वाहनों की पार्किंग शुल्क की दरे निम्नानुसार होगी जो 4 (चार) घटें के लिए मान्य होगी। जिसके लिए ठेकेदार द्वारा टोकन दिया जायेगा टोकन पर ठेकेदार को पूर्ण पता व टेलीफोन न0 अंकित करना होगा :–

(अ) कार/जीप	20/– रूपये (दो घंटे तक 10 रूपये ही शुल्क वसूल कर सकेगा।)
(ब) स्कुटर/मोटर साइकिल	5/– रूपये
(स) साइकिल	2/– रूपये

8 उच्चतम बोलीदाता को सम्पूर्ण राशि एकमुश्त बोली स्वीकृत होते ही जमा करानी होगी अन्यथा अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी। राशि जमा नही कराने की दशा में ब्लेक लिस्टेड व कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

9 पार्किंग व्यवस्था व्यवस्थित रूप से करनी होगी जिसे की यातायात में व्यवधान न हो।

10 बोली स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार महापौर, आयुक्त नगर निगम अजमेर को होगा।

11 पार्किंग स्थल पर खडी गाडी के खोने/गुमने/चोरी होने पर समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं की होगी।

12 विवाद की दशा में न्याय क्षेत्र अजमेर होगा।

13 उच्चत्म बोलीदाता को स्वीकृत बोली राशि पर केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सेवाकर की राशि जमा करानी होगी।

14 सफलतम् ठेकेदार को 10/– रुपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प का शपथ पत्र इस आशय का देना होगा की नगर निगम अधिकारी /कर्मचारी /पार्षद से मेरा कोई रक्त संबंध नही है।

15 पार्किंग स्थल पर पूर्व में ही निर्मित किसी संरचना को नुकसान पहुचाएं जाने पर हानि का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

16. उच्चत्म बोलीदाता की अमानत राशि वित्तीय वर्ष 2016–17 तक जमा रहेगी जिसे ठेका समाप्ति के पश्चात् नियमानुसार लौटाई जायेगी।

17. बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व पहचान पत्र/आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा।

18. बिना कारण बताये नीलामी निरस्त करने का अधिकार नगर निगम को होगा।

19. ठेकेदार द्वारा सम्पूर्ण राशि जमा कराने के पश्चात् ही शुल्क वसूली कर सकेगा अन्यथा वसूली हेतु अधिकृत नही होगा।

20 पूर्व वितिय वर्षो मे किये गये पार्किग ठेकें की किसी भी ठेकेदार की बकाया राशि होने पर उसे आगामी वितिय वर्ष के ठेके मे भाग नही ले सकेगा । सम्पूर्ण राशि जमा होने पर ही ठेके मे भाग ले सकेगा।

21. पार्किंग ठेका निम्नलिखित स्थिति में निरस्त किया जा सकेगाः–

(1) निर्धारित दरों से अधिक वसूली करने पर।

(2) सम्पूर्ण राशि एकमुश्त जमा नही कराने पर।

(3) व्यवसायिक गतिविधिया ठेले, केबिन आदि लगाने पर।

राजस्व अधिकारी (अन्यकर) नगर निगम अजमेर	उपायुक्त नगर निगम अजमेर	आयुक्त नगर निगम अजमेर